क्रम-संख्या–67(ग)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०

डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 मार्च, 2018

फाल्गुन 22, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

संख्या 327 / पन्द्रह-9-18–25(35)-2004 टी0सी0

लखनऊ, 13 मार्च, 2018

अधिसूचना

सा0प0नि0–51

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1904) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000) की धारा 25 एवं धारा 26 के साथ पठित धारा 21 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर, राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) विनियमावली, 2009 को संशोधित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने निम्नलिखित विनियमावली बनाया है:–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्
(संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की
नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एव सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 9 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) विनियमावली, 2009, जिसे आगे उक्त

विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विनियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1

विद्यमान विनियम

9–किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्न होगीः–

(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने के पश्चात् भर्ती के प्रस्ताव को पूर्वानुमोदन हेतु निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए भेजेगाः–

(1) उस श्रेणी में जिसमें नियुक्ति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या,

(2) आरक्षण हेतु रखी गयी ऐसी रिक्तियों की संख्या,

(3) अनारक्षित रिक्तियों की संख्या,

(4) अध्यापकों का विवरण (श्रेणीवार)

(ख) खण्ड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं उत्तर प्रदेश संस्था में कर्मचारियों की संख्या का अवधारण करने के पश्चात शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को अनुमोदनार्थ संस्तुति भेजेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उत्तर प्रदेश अपना विनिश्चय संसूचित करेंगे।

(घ) खण्ड (ग) के अधीन अनापत्ति प्राप्त होने पर प्रबन्ध समिति उसे मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें को भेजेगी जो उसे मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजेगा।

(ङ) मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें द्वारा कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों (एक हिन्दी तथा दूसरा अंग्रेजी) जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, रिक्तियों की संख्या, पदों के विवरण के प्रकार (अर्थात अस्थायी है या स्थायी), (संस्था के प्रधान, प्रवक्ता या एल0टी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसे विषय जिसमे प्रवक्ता या एल0टी0 ग्रेड के अध्यापक की आवश्यकता हो) वेतनमान व अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता एवं न्यूनतम आयु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध मे विवरण दिये गये हों और अन्तिम दिनाक (जो साधारणतया विज्ञापन के

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने के पश्चात्, वह भर्ती के प्रस्ताव को पूर्वानुमोदन हेतु मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं को निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए प्रेषित करेगी :–

(एक) ऐसे अनुमोदित पदों की कुल संख्या, जिस पर नियुक्ति की जानी हो,

(दो) आरक्षण हेतु रखी गयी रिक्तियों की संख्या,

(तीन) अनारक्षित रिक्तियों की संख्या,

(चार) अध्यापकों का विवरण (श्रेणीवार)

(ख) खण्ड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, संस्था में कर्मचारियों की संख्या का अवधारण करने के पश्चात् चयन हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजेगा।

(ग) प्रबन्धतंत्र, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा सहायता प्राप्त प्रथमा, पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा पाठशालाओं में प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों के मौलिक रूप से रिक्त पदों की संख्या का अवधारण करेगा और ऐसे रिक्त पदों का अधियाचन, मण्डलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, को प्रेषित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद, विज्ञापन में लिखित परीक्षा हेतु भर्ती के अधियाचित पदों को विज्ञापित करेगा। संस्था का प्रधानाध्यापक / अध्यापक के पदों हेतु संस्था का नाम और स्थान भी उल्लिखित किया जायेगा और अभ्यर्थियों से अधिमान क्रम में अधिकतम तीन संस्थाओं का विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी और यदि वह किसी विशिष्ट सस्थान या संस्थाओं न कि अन्य संस्था हेतु विचार किया जाना चाहे तो वह अपने आवेदन पत्र मे उक्त तथ्य का उल्लेख कर सकता है।

स्तम्भ—1

विद्यमान विनियम

दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए)विज्ञापित किया जायेगा, जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्मिलित रूप से पूर्णतया भरे गये आवेदन—पत्र मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।

विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र मंडलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें के कार्यालय से 25/—रू0 प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट से भुगतान करने पर या कोषागार के चालान से निरीक्षक द्वारा बताये गये शीर्षक के अधीन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में धनराशि जमा करके प्राप्त किये जा सकता हैं। किसी भी दशा में मंडलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं के कार्यालय में नकद रूप से भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी—(1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पदों की रिक्तियां विज्ञापित की जायेगी।

(2) कोई नया पद पर तब तक विज्ञापित नही किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

(च) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(छ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिये गये आवेदन पत्र को जो संस्था में नियोजित हो और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा किन्तु शीघ्र ही मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें को अग्रसारित किया जायेगा।

(ज) प्राप्त किये गये आवेदन पत्र मडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाये के कार्यालय में अनुमोदित प्रपत्र रखे गये रजिस्टर में क्रमानुसार संख्यांकित एवं प्रविष्ट किये जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भो के अन्तर्गत दर्ज किये जायेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण विषयक अंक परिशिष्ट "घ" में अधिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमान्यतया निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये स्थानीय सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियो या सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यो या उपाधि महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के अध्यापको द्वारा दिये जायेंगे और इसकी जाच मडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें के अधिकारियो द्वारा

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

सरकार द्वारा विहित रीति में भिन्न-भिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क की धनराशि सरकार द्वारा यथा विनिश्चित की जायेगी।

बोर्ड सर्वाधिक प्राप्त उपयुक्त अंकों के अनुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के पदों की सूची तैयार करेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यार्थियों को प्रदान किये गये अंकों के योग समान हों तो आयु में ज्येष्ठतम अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा। जहां किसी चयनित, अभ्यर्थी को उसके अधिमान की संस्थाओं में से कोई संस्था इस आधार पर आवंटित नहीं की जा सके कि सूची में उच्चतर स्थान पर रखे गये अभ्यर्थियों को ऐसी संस्थायें पहले ही आवंटित की जा चुकी है और उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है, वहां बोर्ड उसे ऐसी कोई संस्था आवंटित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे ।

बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था का नाम सहित सूची मण्डलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं को और उसकी प्रति मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अग्रसारित करेगा और इसे सूचना पट्ट पर अधिसूचित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद की संस्तुति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

स्तम्भ–1

विद्यमान विनियम

की जायेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा गुण विषयक प्राप्तांकों के आधार पर किया जायेगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी। प्रतिबन्ध यह है कि संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ाई जा सकती है जो प्रथम सात स्थानों में समान गुण विषयक अंक प्राप्त करें। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक चयन करने के लिए ऐसे दिनांक, समय और स्थान का विनिश्चय करेगा जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, ऐसे दिनांक से कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजेगा।

9 (झ) मण्डलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं चयन समिति के सदस्यों को सूचना देगा और साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान कम से कम दस दिन पूर्व अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा देगा। चयन समिति चयन के लिए तदनुसार बैठक आयोजित करेगी। चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:–

(एक) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक –सभापति

(दो) दो मण्डलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालायें –सदस्य सचिव

(तीन) शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक), उ0प्र0 द्वारा मनोनीत दो संस्कृत विशेषज्ञ –सदस्य

(चार) शिक्षा निदेशक, (मध्यमिक), उ0प्र0 द्वारा नामित दो राजपत्रित अधिकारी जिनमें एक अनुसूचित जाति तथा दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय का हो –सदस्य

(पांच) सम्बन्धित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी –सदस्य

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम

स्तम्भ—1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
(ञ) मंडलीय उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों के संबंध में नाम, अर्हताएं व अन्य विवरण (आठ प्रतियों में) परिशिष्ट—"ग" के अनुसार तैयार कराया जायेगा और विवरण चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष साक्षात्कार के समय रखा जायेगा।	
(ट) चयन समिति द्वारा चयन सम्पूर्ण गुण विषयक अंकों के आधार पर तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ पूर्णांक को खण्ड (ञ) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त गुणांकों एवं चयन समिति के सदस्यों द्वारा 50 अंकों से दत्त औसत अंकों को जोड़कर निकाला जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ उप नियम (ञ) में अभिलिखित करेगा कि वह अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संक्षेप में कारण लिखेगा। पद के लिए सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति का सभापति या तो स्वयं या किसी दूसरे सदस्य द्वारा आयोजित चयन की कार्यवाही पर दो प्रतियों में टिप्पणी तैयार करायेगा जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची में दो अभ्यर्थियों के नाम गुणवत्ता के क्रम में तथा कम से कम दो विशेषज्ञों जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों के नाम अंकित करेगा। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर सभापति तथा चयन समिति के दूसरे सदस्य, पूर्ण नाम, पद नाम, पता तथा दिनांक अंकित करेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विवरण की प्रति के साथ शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्धाधिकरण के अध्यक्ष को प्रबन्धक के माध्यम से अग्रसारित किया जायेगा तथा दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित किया जायेगा।	
(ठ) खण्ड (ज) में किसी बात के होते हुए भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान हों तो आयु में ज्येष्ठतम अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।	

3—उक्त विनियमावली में निम्नलिखित विनियम निकाल दिये जायेंगे :— विनियम 10, 11, 12 व 13 का निकाला जाना

स्तम्भ—1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
10—चयन से सम्बन्धित सभी आवेदन पत्र, कागज पत्र और रजिस्टर मंडलीय उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेंगे जैसी कि निदेशक द्वारा विहित की जाय और जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक, माध्यमिक उत्तर प्रदेश को जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किये जायेंगे।	

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
11– संयुक्त शिक्षा निदेशक एक या अधिक संस्थाओं के एक या अधिक चयन के लिए ऐसे स्थान, समय और दिनांक निर्धारित कर सकता है, जो सुविधाजनक हो। 12–संस्था के प्रधान एवं अध्यापकों के चयन के लिए शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उत्तर प्रदेश प्रत्येक मंडल के लिए पृथक–पृथक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए उनकी लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात मनोनीत करेगा। 13–चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथास्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होगा। इस अतिरिक्त, विशेषज्ञों को ऐसी दर पर जैसा राज्य सरकार स्वीकृत किया जाय, यात्रा भत्ता दिया जायेगा।	

विनियम 14 का संशोधन

4–उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विनियम 14 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
14–विनियम–9 के खण्ड (क) के अधीन चयन समिति की संस्तुति व विनिर्दिष्ट अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ड' में दिये गये प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिससे अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी, कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। इसकी एक–एक प्रति मंडलीय निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, जिला विद्यालय निरीक्षक और मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।	14–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति और उसमें विर्निदिष्ट प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ड' में दिये गये प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें, अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी, जिसमें विफल होने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। उसकी एक प्रति मण्डलीय निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, जिला विद्यालय निरीक्षक और मंण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रेषित की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक उपर्युक्त रीति से की गयी नियुक्ति का अनुमोदन कर सकता है।

आज्ञा से,

संजय अग्रवाल,

अपर मुख्य सचिव।